हमारा प्यारा देश हमारा प्यारा पर्यावरण

प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग

पर्यावरण के मित्र
या
पर्यावरण के शत्रु ?

प्रतिबंधित प्लास्टिक-कचरे पर्यावरण को करते बेहाल
कपड़े, जूट, थैलों का ही करें इस्तेमाल।

पुनः चक्रित चिन्ह

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्
परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पोस्ट-सदाकत आश्रम, पटना-10
दूरभाष नं०-0612-2261250/2262265, फैक्स-0612-2261050
ई.मेल-bspcb@yahoo.com, वेबसाईट-http://bspcb.bih.nic.in.

प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग

मनुष्य अनादि काल से ही विकास की नई ऊँचाईयों को पाने के लिए प्रयत्नशील रहा है। इसने विज्ञान, तकनीकी, अंतरिक्ष, कृषि, चिकित्सा इत्यादि क्षेत्रों में काफी प्रगति की है।

विज्ञान के विकास के साथ-साथ मनुष्य ने अपनी सुख-सुविधा के लिए क्या कुछ नहीं किया है। उदाहरणस्वरूप, मनुष्य ने ऐसा ही एक पदार्थ बनाया है-प्लास्टिक, जो प्राकृतिक नहीं है वरन् इस कृत्रिम रूप से विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा बनाया जाता है। प्रतिदिन प्रातः जागने से लेकर रात्रि में सोने जाने तक प्लास्टिक की उपयोगिता हम देख सकते हैं। ऐसे पदार्थों की उपयोगिता पर हमें कोई शक नहीं परन्तु, इनसे हानियां भी कम नहीं।

क्या है प्लास्टिक?

प्लास्टिक कृत्रिम रूप से बनाया गया एक पॉलिमर है। सामान्यतया गुणों के आधार पर प्लास्टिक को दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है-**थर्मोसेटिंग एवं थर्मोप्लास्टिक।**

थर्मोसेटिंग प्रकार का प्लास्टिक, वैसा प्लास्टिक है जिसे उत्पादन के समय जिस आकार में ढाल दिया जाता है, वैसा ही रहता है। इसे दोबारा गर्म कर अथवा पिघलाकर किसी अन्य रूप में नहीं ढाला जा सकता। ये हैं-बेकलाइट, मेलेमाइन एवं यूरिया-फार्मल डिहाइड रेसिन, इत्यादि।

थर्मोप्लास्टिक प्रकार का प्लास्टिक वैसा प्लास्टिक है जो गर्म करने पर मुलायम हो जाता है तथा उन्हें वांछित आकार में ढाला जा सकता है। ये हैं-नाइलोन, पॉलिइस्टर(टेरीलीन), पॉलीस्टाइलीन, पॉली विनाइल क्लोराइड(पी.वी.सी.) एवं पॉली-इथीलिन(पॉलीथीन)। प्लास्टिक के थैले थर्मोप्लास्टिक प्रकार के प्लास्टिक से बने होते हैं। ऐसे प्लास्टिक के थैले सफेद रंग के अनुप्रयुक्त प्लास्टिक (Virgin plastic) से बने होते हैं। कई बार पुनः चक्रित प्लास्टिक से भी रंगयुक्त थैले बनाये जाते हैं।

प्लास्टिक थैलों/कैरी बैगों का पुनः चक्रण (रिसाइक्लिंग)

सफेद/प्राकृतिक रंग के प्लास्टिक के थैले पहली बार उपयोग के पश्चात कूड़े में फेंक दिये जाते हैं, जिसे कूड़ा इकट्ठा कर रोजी-रोटी चलाने वाले पुनः चुन-चुनकर प्लास्टिक पुनः चक्रण (रिसाइक्लिंग) करने वाली इकाईयों को बेच देते हैं। जहां वे इसे ताप द्वारा गलाकर पुनः प्लास्टिक के थैले का रूप दे देते हैं।

ऐसे प्लास्टिक थैले कई प्रकार के जीवाणुओं/ विषाणुओं से ग्रसित हो सकते हैं। इन्हें पूरी तरह साफ एवं विसंक्रमित किये बिना पुनः गलाकर तथा इसमें कई प्रकार के खाद्य/अखाद्य रंग, जिसमें सीसा (Lead) भी होता है, डालकर रंगीन प्लास्टिक थैला (कैरी बैग) बनाया जाता है। ऐसे ही थैलों को पुनः चक्रित (रिसाइकिल्ड) प्लास्टिक कैरी बैग/थैला कहा जाता है। ऐसे प्लास्टिक थैलों में खाद्य पदार्थ रखे जाने से वे इनमें प्रयुक्त अखाद्य रंगों से मिलकर विषाक्त हो सकते हैं, जिसे खाने पर मनुष्य के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।

प्लास्टिक थैलों/कैरी बैगों से हानि

इन प्लास्टिक थैलों से नालियां जाम हो जाती हैं तथा गली-मुहल्लों में गंदे जल के जमाव की स्थिति आ जाती है, जिससे मक्खियां, मच्छर तथा बैक्टीरिया को पनपने का अच्छा अवसर मिलता है।

ये प्लास्टिक थैले पेड़-पौधों के विकास में बाधक बनते हैं। प्लास्टिक जैव-अविघटनकारी (non-bio-degradable)होते हैं यानि स्वंय इनका विनाश सौ वर्षों में भी नहीं होता है और न ही ये किसी बैक्टीरिया द्वारा विघटित किये जा सकते हैं। इस प्रकार ये जहां के तहां पड़े-पड़े पेड़ों की जड़ों के विकास में बाधक बनते हैं।

ऐसे प्लास्टिक, खेतों, मैदानों एवं अन्य जगहों में जमे जल को जमीन के अंदर भूगर्भीय जल-स्तर तक पहुंचने में बाधक होते हैं जिससे भूगर्भीय जल-स्तर भी प्रभावित होता है। फलतः गर्मी के मौसम में कुओं/चापाकलों से जल प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है।

यत्र-तत्र बिखरे प्लास्टिक बैगों में फेंके गये खाद्य सामग्री को पालतू पशु भोज्य पदार्थ समझकर निगल लेते हैं। ये इनकी आंतों में रूकावट पैदा करता है जो ऐसे जानवरों की शनैःशनैः मृत्यु का कारण बन सकती है।

प्रायः कूड़े-कचरों पर जमा ऐसे प्लास्टिक थैले को अज्ञानतावश जला दिया जाता है जिससे जहरीली गैस उत्पन्न होती हैं, जिससे श्वास, फेफड़ा संबंधी बीमारियां भी हो सकती है।

प्लास्टिक कैरी-बैगों तथा अपशिष्ट प्लास्टिक के प्रबंधन एवं हस्तन के संबंध में कानूनी प्रावधान

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986(1986 की 29) की धारा 3,6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम, 2011 को अवक्रमित करते हुए, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मांलय द्वारा अधिसूचना संख्या 320(अ) दिनांक 18 मार्च, 2016 के माध्यम से 'अपशिष्ट प्लास्टिक निमय, 2016' अधिसूचित किया गया है।

इस नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप कैरी बैग, प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार या प्लास्टिक शीट या बहुस्तरीय पैकेजिंग के बने आवरण के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय और उपयोग के अनुक्रम दौरान निम्नलिखित शर्तें लागू है:

(क) कैरी बैग और प्लास्टिक पैकेजिंग या तो प्राकृतिक रंग में होंगे जो किसी मिलाए गए रंजक से रहित है या केवल उन्हीं रंजकों और रंगकों का उपयोग कर बनाए गये हैं जो समय-समय पर यथा-संशोधित "खाद्य पदार्थों, भेषजीय पदार्थों और पीने के पानी के संपर्क में आने वाली प्लास्टिकों के उपयोग के लिए रंजकों और रंगकों की सूची" नामक शीर्षक से भारतीय मानक आई.एस. 9833:1981 के अनुरूप हैं;

(ख) पुनःचक्रित प्लास्टिक से बने कैरी बैग या पुनःचक्रित प्लास्टिक से बने उत्पादों का उपयोग खाने या पीने के लिए तैयार खाद्य सामग्री का भंडार करने, वहन करने वितरण करने या पैकेजिंग करने के लिए नहीं किया जायगा;

(ग) अप्रयुक्त या पुनःचक्रित प्लास्टिक के बने किसी कैरी बैग की मोटाई पचास माइक्रोन्स (50μ)से कम नहीं होगी;

(घ) प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार, जो बहुस्तरीय पैकेजिंग और वस्तु की पैकेजिंग या लपेटने के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक शीट के बने कवर का अभिन्न भाग नहीं है, की मोटाई पचास माइक्रोन्स के कम नहीं होगी, वहां छोड़कर जहां ऐसी प्लास्टिक शीट उत्पाद के कार्य में बाधक हो;

(ड.) विनिर्माता राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण न रखने वाले उत्पादक को कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त होने वाली प्लास्टिक न रखने वाले उत्पादक को कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त होने वाली प्लास्टिक को न बेचेगा या न उपलब्ध करायेगा या न व्यवस्था करेगा;

(च) गुटखा, तम्बाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री हेतु प्लास्टिक सामग्री युक्त सैशे का उपयोग नहीं किया जायेगा;

(छ) प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनःचक्रिकरण समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक के प्लास्टिक के पुनःचक्रण के लिए मार्गदर्शन नामक विनिर्देश भा.मा.14539:1998 के अनुरूप होगा;

(ज) मोटाई का प्रावधान कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक से बने कैरी बैग पर लागू नहीं होगा। कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक से बने कैरी बैग समय-समय यथा संशोधित कंपोस्ट योग्य प्लास्टिक के लिए विनिर्देश नामक भारतीय मानक आइ.एस. या आई.एस.ओ. 17088:2008 के अनुरूप होंगे। कम्पोस्ट योग्य कैरी बैग के विनिर्माता या बिक्रेता विपणन या बिक्री करने से पूर्व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे;

(झ) विनायल एसिटेट-मलेइक एसिड-विनायल क्लोराइड कोपॉलिमर सहित किसी भी प्रकार की प्लास्टिक सामग्री का उपयोग किसी पैकेज में सभी प्रकार के गुटका, पान मसाला और तम्बाकू के पैकेजिंग के लिए नहीं किया जाएगा।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधनः

(1) शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपने संबद्ध अधिकारिता में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध इस प्रकार होगा:-

(क) ऐसा प्लास्टिक अपशिष्ट जिसे पुनःचक्रित किया जा सकता हो, को रजिस्ट्रीकृत प्लास्टिक अपशिष्टि पुनःचक्रक को पहुंचाया जाएगा और प्लास्टिक का पुनःचक्रण समय-समय पर यथा संशोधित पुनःचक्रण के लिए दिशा-निर्देश नामक भारतीय मानकःआई.एस. 14534:1998 के अनुसार किया जाएगा;

(ख) शहरी स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रधानतः ऐसे प्लास्टिक अपशिष्ट का जिसका पुनःचक्रीकरण नहीं किया जा सकता) के उपयोग को भारतीय रोड कांग्रेस दिशा-निदर्शों के अनुसार सड़क निर्माण करने या उर्जा पुनः प्राप्त करने का वेस्ट टु ऑयल आदि हेतु करने को प्रोत्साहित करेंगी। इन प्रौद्योगिकियों के लिए निर्धारित प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों और प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का पालन किया जाएगा।

(ग) तापस्थायी प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रसंस्करण और व्ययन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जायेगा;

स्थानीय निकाय का दायित्व

(1) प्रत्येक स्थानीय निकाय स्वयं या अभिकरण या उत्पादक लगाकर प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण या संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन की अवसंरचना को विकसित करने और स्थापना के लिए उत्तरदायी होगा;

(2) स्थानीय निकाय अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली की स्थापना, प्रचालन और समन्वय के लिए तथा सहयोजित कृत्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा, अर्थात;

(क) प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन को सुनिश्चित करना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि इस प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण को कोई हानि न हो;

(ग) पुन:चक्रण करने वाले लोगों के प्रति पुन:चक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट भाग के सरलीकरण को सुनिश्चित करना;

(घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्ग निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट के गैर पुन:चक्रण योग्य भाग के प्रसंस्सकरण और व्ययन को सुनिश्चित करना;

(ड.) सभी हितधारकों में उनके उत्तरदायित्व के लिए जागृति पैदा करना;

(च) अपशिष्ट चुनने वालों के साथ कार्य कर रहे सिविल सोसाइटी या समूहों को लगाना;

(छ) यह सुनिश्चित करना कि प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में न जलाया जाए।

(3) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध के लिए प्रणाली के गठन के लिए स्थानीय निकाय उत्पादकों की सहायता लेगा।

(4) स्थानीय निकाय इन नियमों के प्रावधानों को शामिल करते हुए उप-नियम बनाएगा।

ग्राम पंचायतों का दायित्व

(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत स्वंय या अभिकरण के माध्यम से अपने नियंत्रण के अधीन ग्रामीण क्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए और सहयोजित कृत्यों के अनुपालन के लिए स्थापना, प्रचालन और समन्वय करेगा अर्थात -

(क) प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन और विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण रखनेवाले पुन:चक्रण करने वाले लोगों के प्रति पुन:चक्रण करनेवाले लोगों के प्रति पुन:चक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट का सरणीकरण सुनिश्चित करना; यह सुनिश्चित करना कि इस प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण को कोई हानि न हो;

(ख) सभी हितधारकों उनके उत्तरदायित्व के लिए जागृति पैदा करना;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में न जलाया जाए।

अपशिष्ट जनक का उत्तरदायित्व

सभी अपशिष्ट जनकों से अपेक्षित है कि : -

(क) समय-समय पर यथा संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट के जनन को कम करने और श्रोत पर प्लास्टिक अपशिष्ट को पृथक करने के कदम उठाना चाहिए।

(ख) प्लास्टिक अपशिष्ट को न बिखरने देगा और स्रोत पर अपशिष्ट का पृथक भंडारण सुनिश्चित करेगा तथा पृथक अपशिष्ट को शहरी स्थायी निकायों या ग्राम पंचायत या उनके द्वारा नियुक्त एजेंसियों या अपशिष्ट चुनने वालों, रजिस्ट्रीकृत पुन:चक्रणकर्ताओं या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरणों को सौंपना चाहिए;

(2) प्लास्टिक अपशिष्ट के सभी संस्थागत जनक उनके द्वारा जनित अपशिष्ट का पृथक्करण और भंडारण इस अधिनियम या इसके बाद संशोधित अधिनियम के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार करेंगे और पृथक्कृत अपशिष्टों को स्वयं के या प्राधिकृत अपशिष्ट अभिकरण के माध्यम से प्राधिकृत अपशिष्ट प्रसंस्सकरण या व्ययन सुविधा या निक्षेपण केन्द्रों को सौंपना चाहिए।

(3) सभी अपशिष्ट जनक ऐसी उपयोगिता फीस या प्रभार अदा करेंगे जो अपशिष्ट संग्रहण या उसकी सुविधा के प्रचालन आदि जैसे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध के लिए स्थानीय निकायों की उपविधियों में विनिर्दिष्ट होना चाहिए;

(4) खुली जगह में आयोजन की व्यवस्था करने वाला प्रत्येक उत्तरदायी व्यक्ति जिसमें प्लास्टिक या बहुस्तरीय पैकेजिंग में खाद्य सामग्री की सेवा अंतर्वलित है, ऐसे आयोजनों के दौरान जनित अपशिष्ट का पृथक्करण और प्रबंधन इस अधिनियम या इसके बाद संशोधित अधिनियम के तहत अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार होना चाहिए।

उत्पादकों, आयातकर्ताओं और ब्रांड स्वामियों का दायित्व

(1) उत्पादकों द्वारा व्यक्तिगत या सामुहिक रूप से अपने निजी वितरण चैनल या संबद्ध स्थानीय निकाय के माध्यम से विस्तारित उत्पादक दायित्व पर आधारित अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली के लिए राज्य शहरी विकास विभाग को सम्मिलित करते हुए रूपरेखा तैयार करना चाहिए।

(2) उपयोग में लाए गये बहुस्तरीय प्लास्टिक शैशे या पाउचों या पैकेजिंग के संग्रहण का प्रमुख दायित्व उन उत्पादकों, आयातकर्ताओं और ब्राउंड स्वामियों का होगा जो बाजार में उत्पाद को पेश करते हैं। उन्हें अपने उत्पादों के कारण जनित प्लास्टिक अपशिष्ट को वापस संग्रह करने की प्रणाली स्थापित करने की जरूरत है। संग्रह करने की यह योजना स्थापित करने या प्रचालन या नवीकरण के लिए सहमति हेतु आवदेन करते समय बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को प्रस्तुत करनी होगी। जिल ब्रांड स्वामियों की सहमति का नवीकरण इन नियमों की अधिसूचना से पहले कर दिया गया है वे इन नियमों की अधिसूचना से पहले कर दिया गया है वे इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के अंदर उक्त योजना प्रस्तुत कर देंगे और उसके दो वर्ष बाद लागू कर देना चाहिए।

(3) पुन:चक्रीकरण न की जा सकने योग्य बहुस्तरीय पैकेजिंग का विनिर्माण एवं उपयोग, यदि कोई हो, दो वर्ष में बंद कर देना चाहिए।

(4) उत्पादक राजपत्र में इन नियमों के अंतिम प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए राज्यों या संबद्ध संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के यथास्थिति बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को आवेदन करना चाहिए।

(5) कोई उत्पादक राजपत्र में इन नियमों के अंतिम प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से रजिस्ट्रीकरण के बिना वस्तुओं के पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक या बहुस्तरीय पैकेजिंग का विनिर्माण या उपयोग नहीं करना चाहिए।

(6) प्रत्येक उत्पादक कैरी बैग या प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार या प्लास्टिक शीट या बहुस्तरीय पैकेजिंग के बने कवर के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त प्लास्टिक की आपूर्त्ति में लगे व्यक्ति के ब्यौरों के अभिलेख बनाये रखना चाहिए।

कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक सामग्रियों के लिए नयाचार - प्लास्टिक सामग्री के विक्रमण की डिग्री और विघटन की डिग्री का निर्धारण, इन नियमों अनुसूची-1 में सूचीबद्ध भारतीय मानकों के नयाचारों के अनुसार होगा।

मार्का या लेबल लगाना - (1) प्रत्येक प्लास्टिक कैरी बैग और बहुस्तरीय पैकेजिंग पर अंग्रेजी में निम्नलिखित जानकारी मुद्रित की जाएगी, अर्थात:-

(क) कैरी बैग की दशा में विनिर्माणकर्त्ता का नाम, उसका रजिस्ट्रीकरण संख्या और मोटाई; और

(ख) बहुस्तरीय पैकेजिंग की दशा में विनिर्माणकर्त्ता का नाम और उसका रजिस्ट्रीकरण संख्या;

(ग) कंपोस्ट योग्य प्लास्टिक से बने कैरी बैग की दिशा में नाम और प्रमाणपत्र संख्या (नियम 4(ज)।

(2) प्रत्येक पुन:चक्रित कैरी बैग पर निम्नलिखित रूप में यथादर्शित "पुन:चक्रित" लेबल या चिन्ह होगा और भारतीय मानक के समय-समय पर यथा संशोधित पुन:चक्रित प्लास्टिक के लिए मार्गदर्शक नामक विनिर्देश भा.मा. 14534:1998 के अनुसार होगा;

टिप्पणी: पैट-पोलीथाइलिन टेरीफैथेलेट, एचडीईपी-उच्च डेंसिटी पोलीथइलिन, वी-विनायइल (पीवीसी), एलडीपीई - निम्न डेंसिटी पोलीथइलिन, पीपी-पोलीपोपिलिन, पीएस पोलीस्टायरिन और अन्य से अभिप्रेत सभी अन्य राल और बहुसामग्रियां हैं जैसे एबीएस (एक्रीलोनिट्राइल बूटाडिन स्टायरिन)पीपीओ (पोलीफेननाइलिन आक्साइड)पीपी (पोलीकार्बोनेट), पीवीटी (पोलीबूटीलेन पेरीफेलेट) आदि।

(3) कंपोस्ट योग्य प्लास्टिकों से बने प्रत्येक कैरी बैग पर कम्पोस्ट योग्य का लेबल लगा होगा और भारतीय मानक के कंपोस्ट योग्य प्लास्टिक के विनिर्देश नामक विनिर्देश भा.मा./भा.मा.स. 17088:2008 के अनुरूप होगा।

विहित प्राधिकारी

(1) राज्य के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् रजिस्ट्रीकरण, प्लास्टिक उत्पादों और बहुस्तरीय पैकेजिंग के विनिर्माण, अपशिष्ट प्लास्टिक के प्रसंस्करण और व्ययन से संबंधित इन नियमों के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए प्राधिकृत है।

(2) राज्य के शहरी विकास विभाग के सचिव अपशिष्ट जनक द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार के प्लास्टिक शीटों और बहुस्तरीय पैकेजिंग से बने कवर के उपयोग से संबंधित इन नियमों के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए प्राधिकृत हैं।

(3) संबद्ध ग्राम पंचायत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट जनक द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार के प्लास्टिक शीटों और बहुस्तरीय पैकेजिंग से बने कवर के उपयोग से संबंधित इन नियमों के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए प्राधिकृत है।

(4) उप नियम (1) से (3) मे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्त्तन में संबद्ध जिले की अधिकारिता के भीतर जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त की सहायता ली जा सकती है।

उत्पादक, पुन:चक्रणकर्त्ता और विनिर्माणकर्त्ता का रजिस्ट्रीकरण

(1) कोई व्यक्ति कैरी बैगो या पुन:चक्रित प्लास्टिक बैगों और बहुस्तरीय प्लास्टिकों का विनिर्माण तब नहीं करेगा जब तक कि उसने उत्पादन के प्रारंभ से पूर्व यथास्थिति राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त न हो गया हो;

(2) प्रत्येक उत्पादनकर्त्ता को रजिस्ट्रीकरण के लिए या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को उपाबद्ध प्रारूप 1 का प्रयोग करते हुए आवेदन करना चाहिए।

(3) ऐसे कोई व्यक्ति को जो कैरी बैग और बहुस्तरीय प्लास्टिकों या प्लास्टिक अपशिष्ट का पुन:चक्रण करता है या पुन:चक्रण करने के लिए प्रस्ताव करता है, उपाबद्ध प्रारूप 2 का प्रयोग करते हुए पुन:चक्रण यूनिट के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए या रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को आवेदन करना चाहिए।

(4) उत्पादक द्वारा कच्ची सामग्री के रूप मे प्रयुक्त की जाने वाली प्लास्टिक के विनिर्माण में लगे प्रत्येक विनिर्माता प्रारूप 3 में रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को आवेदन करना चाहिए।

(5) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् विनिर्माण या पुन:चक्रण यूनिटों के लिए कोई रजिस्ट्रीकरण तब तक जारी नहीं करेगी या उसका नवीकरण नहीं करेगी जबतक कि यूनिट जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 (1981 का 14) के अधीन कोई विधि मान्य सहमति नहीं रखती हो और जिला उद्योग केन्द्र या इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य सरकारी अभिकरण द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र न रखती हो।

(6) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा उत्पादक के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण तब नहीं किया जायेगा जबतक उत्पादक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रणाली की स्थापना के लिए संबद्ध राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के शहरी विकास विभाग के सचिव द्वारा पृष्ठांकित कार्य योजना न रखता हो।

खुदरा विक्रेताओं और पथ विक्रेताओं का दायित्व

(1) खुदरा बिक्रेता या पथ बिक्रेता उपभोक्ता को ऐसे कैरी बैग या प्लास्टिक शीट या बहुस्तरीय पैकेजिंग में वस्तु नहीं बेचेगा या उपलब्ध कराएगा जो इन नियमों के अधीन विहितानुसार विनिर्मित या लेबल लगे या चिन्हित नहीं है।

(2) प्लास्टिक कैरी बैग या बहुस्तरीय पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार या ऐसे प्लास्टिक शीट से बने जो इन नियमों के अनुसार वनिर्मित या लेबलित या चिन्हिंत नहीं है, में वस्तुओं को बेचने या उपलब्ध कराने वाला प्रत्येक खुदरा बिक्रेता या पथ बिक्रेता ऐसा जुर्माना देन का दायी होगा जो स्थानीय निकायों की विधियों में विनिर्दिष्ट हो।

कैरी बैगों की कीमत सुनिश्चित करना

(1) जो दुकानदार और पथ बिक्रेता किसी वस्तु को वितरित करने के लिए प्लास्टिक के कैरी बैग उपलब्ध कराना चाहते हैं उन्हें स्थानीय निकाय के पास पंजीकरण कराना होगा। स्थानीय निकाय, चार हजार रूपये प्रतिमाह की दर से न्यूनतम अड़तालीस हजार रूपये का प्लास्टिक प्रबंधन शुल्क का भुगतान करने के बाद ऐसे पंजीकरण के लिए अपने राज्य के उपयुक्त कानून या उपनियमों के तहत अधिसूचना या आदेश के द्वारा प्रावधान करेगा। संबंधित स्थानीय निकाय उत्पादन या बिक्री क्षमता को ध्यान में रखते हुए अधिक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क निर्धारित कर सकता है। पंजीकृत दुकानदार प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करेगा कि प्लास्टिक कैरी बैग भुगतान करने पर दिये जाते हैं।

(2) वस्तुओं का विरतण करने के लिए प्लास्टिक कैरी बैग उपलब्ध कराने के लिए केवल पंजीकृत दुकानदार या पथ विक्रेता ही अधिकृत होंगे।

(3) शहरी स्थानीय निकाय कैरी बैगो के लिए उपभोक्ताओं द्वारा संदत रकम का अन्नयत: उपयोग अपनी अधिकारिताओं के भीतर अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की संधार्यता के लिए करेगा।

दण्डात्मक प्रावधान

ऐसे नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लघंन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अन्तर्गत दिये गये दण्डात्मक व्यवस्था को आकृष्ट करेगा जो ऐसे अपराधों के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 वर्षों तक का कारावास-जुर्माना के बिना अथवा अधिकतम एक लाख रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों की सजा तक दण्डनीय बनाया गया है।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा मार्च, 2018 में प्रकाशित एवं
न्यू ग्राफिक प्रिंटर्स, पटना, मो.- 9334186311 द्वारा 1000 प्रतियाँ मुद्रित